



M.P. POWER TRANSMISSION CO. LTD. JABALPUR.
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (T&C)
(Regd. Office : Block No. 2, Shakti Bhawan, Jabalpur

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-86/1294

जबलपुर, दिनांक 23-07-2019

आदेश

म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0 के आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/II/3721-22 दिनांक 30-12-2015 के द्वारा तृतीय विकल्प समयमान वेतनमान (Third Time Scale Pay Higher Pay Scale on completion of 30 years service) का लाभ म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0 के कार्मिकों हेतु, उक्त परिपत्र के साथ संलग्न Terms and conditions के प्रावधानों के अनुसार एवं तत्संबंध में पूर्ववर्ती म0प्र0रा0वि0मं0 के आदेशों परिपत्रों/स्पष्टीकरण/नोटिफिकेशन आदि में किये गये प्रावधानों जिन्हें म0प्र0पॉ0ट्रां0 कं0लि0 के द्वारा अपने कार्मिकों हेतु परिपत्र क्रमांक 1735 दिनांक 25.08.2005 एवं आदेश क्रमांक 2929 दिनांक 10.10.2012 द्वारा ग्राह्य किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार एवं " Identified Static Cadre." के संबंध में म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0 के परिपत्र क्रमांक AS/MPPTCL/II/5210-11 दिनांक 24.12.2016 में किये गये प्रावधानों अनुसार श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, वाहन चालक (कर्मचारी क्रमांक 91537216)कार्या0 कार्यपालन अभियंता (अउदा-निर्माण) संभाग, सतना द्वारा प्रस्तुत किये गये 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के अंतर्गत समयमान वेतनमान, आवेदन पत्र के आधार पर वेतन संवर्ग ई-7 वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 सादृश्य ग्रेड रू.4100/-पुनरीक्षित सातवाँ वेतनमान रू0 36600-116000/- प्रतिमाह का लाभ प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 02/07/2019 से इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्राप्त किसी भी विभागीय दंडावधि की परिधि में नहीं आती है ।

उक्त समयमान वेतनमान (उच्च वेतनमान) की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है ।

CE (Tr.-EZ)
P.No. 4351
Date. 23/7/19
Works/Pur.
Estt./Steno
Cashier

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-86/1294
प्रतिलिपि :-

मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)
म0प्र0 पॉवर ट्रांस0 कं0लि0, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23-07-2019

1. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)/ (अउदा-निर्माण) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
 2. मुख्य (वित्तीय अधिकारी) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
 3. मुख्य अभियंता (ट्रांस.-पूर्वक्षेत्र) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
 4. अधीक्षण अभियंता (अउदा-निर्माण) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., वृत्त जबलपुर ।
 5. कार्यपालन यंत्री (अउदा-निर्माण) संभाग, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., सतना ।
 6. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
 7. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म0प्र0पॉ0मै0कं0लि0, जबलपुर ।
 8. कार्यपालन अभियंता (वेबमास्टर) कार्या0 मुख्य अभियंता (ट्रांस.-पूर्वक्षेत्र)म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
 9. निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
 10. श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, वाहन चालक द्वारा - अधीक्षण अभियंता (अउदा-निर्माण) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., वृत्त जबलपुर ।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

क्रमशः-2 P.T.O

अ पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में म०प्र०पॉ०ट्रा०कं०लि० के आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30-12-2015 के प्रावधानों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा।

ब. उक्त कर्मचारियों के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि उच्च वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे। इसके साथ ही उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से यह भी जांच कर लेवें कि संबंधित कर्मचारी ने 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि में गणना योग्य वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यालयीन प्रक्रिया से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है। तथा तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उन्हें, आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30.12.2015 के प्रावधानों के अनुसार, मात्र दो ही अवसरों पर (पदोन्नति अथवा उच्चवेतनमान) वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हुआ है। यदि उपरोक्त किसी कर्मचारी को दो से अधिक अवसरों पर वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हो चुका है तब आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।

स. उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापिस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

अधीक्षण अभियंता

कार्या० मुख्य अभियंता (परी० एवं संचार)

म०प्र०पॉ०ट्रा०कं०लि०, जबलपुर

अधी. ई.ई. (वै.स.स.)
ज.प.